राज्य सरकार को इस संबंध में योजना विकसित करनी है। इस प्रकार, राज्य सरकार ने इस मामले में बहुत कम रुचि दिखाई है। कोई वाजिब कारण नहीं मिला. एक बार समता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बाद इसे आधे रास्ते पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे पूरा प्रभाव देना होगा.

(24) परिणाम में रिट याचिका को प्रतिवादियों को शेष अन्य भत्तों जैसे चिकित्सा भत्ते, बोनस, अवकाश यात्रा रियायत और अवकाश नकदीकरण आदि जैसे सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में एक योजना तैयार करने के निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 4-12 (सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन) उपरोक्त भत्तों और लाभों के संबंध में समानता के संबंध में नए सिरे से एक योजना तैयार करेंगे जो सरकार के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य हैं। स्कूलों लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भुगतान नहीं किया जाता है। यह योजना इस आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। योजना सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक संघ के परामर्श से तैयार की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार उत्तरदाताओं संख्या 4 और 12 द्वारा योजना प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर उस पर निर्णय लेगी।

(25) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। *जे एस टी।*

माननीय *जवाहर लाल गुप्ता और वी. एम. जैन के समक्ष, जे.*

राम किशन,-याचिकाकर्ता

बनाम

फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स प्रशासन और अन्य,- प्रतिवादी

1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8103

17 दिसंबर, 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 21 & 226—गबन के आरोप में 1986 में याचिकाकर्ताओं को निलंबन के तहत रखने के लिए अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई-निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि 1994 तक उसके समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया गया था-याचिकाकर्ता *को लंबित विभागीय कार्यवाही पर पूर्वाग्रह के बिना बहाल किया गया-विभाग 13 साल बीतने के बावजूद आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश करने में विफल रहा-- केवल इसलिए कि एक आरोप पत्र दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि आरोप साबित हो गया है-याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही ने उसके निलंबन की अवधि के दौरान वेतन के पूरे बकाया के भुगतान के निर्देश को रद्द कर दिया और साथ ही 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की। 25, 000 मुआवजे के रूप में।*

माना कि यह सच है कि गबन का आरोप गंभीर है।यदि साबित हो जाता है, तो कर्मचारी सामान्य रूप से निगम की सेवा में बने रहने का हकदार नहीं होगा।हालाँकि, यह नहीं माना जा सकता है कि आरोप केवल इसलिए साबित हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया गया है।वास्तव में, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा गबन के आरोप से

(Para 11)

बरी कर दिया गया है।इतना ही नहीं।प्रतिवादीगण कार्यवाही के दौरान और वर्तमान मामले में अदालत के समक्ष भी उनके खिलाफ सबूत का एक टुकड़ा भी पेश नहीं कर पाए हैं।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिए जाने के 13 साल बीत जाने के बावजूद जांच मामले की फाइल में एक भी सबूत नहीं लाया गया है।

(पैरा 11)

इसके अलावा, हम उन अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करते हैं जो वर्ष 1986 से याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित हैं।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर खर्च किया गया माना जाएगा और वह वेतन के पूर्ण बकाया का हकदार होगा।उन्हें रुपये का भुगतान करके और मुआवजा दिया जाएगा। 25, 000 उन लंबी कार्यवाही के कारण जिनका उन्होंने सामना किया है।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता की ओर से *राज मोहन सिंह अधिवक्ता।*

ए. आर. टक्कर, *अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।*

निर्णय

न्यायमूर्ति *जवाहर लाल गुप्ता,*

(1) याचिकाकर्ता फरीदाबाद नगर निगम में हाउस टैक्स क्लर्क के रूप में काम कर रहा है।वह शिकायत करता है कि वर्ष 1986 में जारी आरोप पत्रों के साथ उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही अब तक पूरी नहीं हुई है।याचिकाकर्ता ने बताया कि 4 अगस्त, 1986 और 15 अक्टूबर, 1986 *के* ज्ञापनों के माध्यम से उन पर दो आरोप पत्र जारी किए गए थे।यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न राशि का गबन किया था, जिसकी कुल राशि लगभग रु। 35,000 है।उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था।

(2) आरोप पत्र जारी करने के अलावा, प्राधिकरण ने 19 अक्टूबर, 1986 को प्राथमिकी संख्या 297 भी दर्ज की थी।इस मामले में चालान जुलाई, 1989 में प्रस्तुत किया गया था।असंख्य अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने वाला कोई सबूत *पेश* नहीं किया गया।अंततः,-25 मई, 1994 के फैसले के माध्यम से, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को इस टिप्पणी के साथ बरी कर दिया कि

अभियोजन पक्ष "चार साल से अधिक की अवधि में बिताए गए नौ प्रभावी अवसरों" के बावजूद गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा था।

(3) याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी कार्यवाही को नहीं हटाया गया।न ही कोई सबूत दर्ज किया गया है।आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।इन परिसरों में, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादीगण को उसके सभी बकाया को जारी करने का निर्देश दिया जाए।

(4) प्रतिवादीगण की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है।अन्य बातों *के साथ* यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 2 जुलाई, 1986 को निलंबित कर दिया गया था।उन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।यहां तक कि आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की

(Para 11)

गई।विभागीय कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता उपस्थित होने में विफल रहा था।31 मई, 1988 को उन्हें कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था।उनसे पूछा गया था कि उन्हें प्रतिवादी-निगम की सेवा से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने यह दर्शाते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए कि वह बीमार है।जवाब मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए।हालांकि, यह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि संबंधित दस्तावेज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस को भेज दिए गए थे। प्रत्यर्थी-निगम ने अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई बार विभिन्न संदर्भ भेजे लेकिन वे उपलब्ध नहीं कराए जा सके और यही कारण है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच अभी भी लंबित है।

(5) प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को बरी *कर* दिया गया था-25 मई, 1994 के फैसले के माध्यम से।बरी होने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया।यह आदेश उनके खिलाफ लंबित जांच कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना था।

(6) पक्षों के वकील को सुना गया है।

(7) विद्वान वकील श्री राज मोहन सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 13 साल से अधिक की लंबी अवधि से अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है।वह मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित रहा है।शुरू में, अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले को लगभग आठ साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया।अनगिनत अवसरों के बावजूद कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका।अंततः याचिकाकर्ता को मामले में बरी कर दिया गया।वर्ष 1994।उसके बाद, पाँच साल से अधिक समय बीत चुका है।कार्यवाही में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं की गई है।कोई गवाह पेश नहीं किया गया है।और फिर भी, निलंबन की अवधि के लिए याचिकाकर्ता का बकाया जारी नहीं किया गया है।यहां तक कि उनकी आगे पदोन्नति की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(8) प्रतिवादीगण की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ए. आर. टक्कर ने कहा कि अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण कार्यवाही का समापन नहीं किया जा सका।

(9) घटनाओं का क्रम स्पष्ट है।याचिकाकर्ता को वर्ष 1986 में दो आरोप पत्र जारी किए गए थे।अक्टूबर, 1986 में लगभग उसी समय उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था।निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही को लगभग आठ साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया था।याचिकाकर्ता को 1994 में बरी कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश करने में विफल रहा था।इसके बाद अगले पांच वर्षों के दौरान विभागीय कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई है।क्या कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए?

(10) स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, हमने प्रतिवादीगण को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए वकील को विभिन्न अवसर दिए।वह कोई उत्पादन नहीं कर सके।अंततः-1 *दिसंबर,* 1999 के हमारे आदेश के अनुसार, हमने प्रतिवादी-निगम के आयुक्त को 13 दिसंबर, 1999 को रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।वह प्रकट हुआ।उनके पास याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं था।यह कहा गया कि अभिलेख पुलिस को सौंप दिया गया है।पूछताछ में पुलिस ने कहा था कि रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया था।1 दिसंबर, 1999 के हमारे आदेश के बाद अदालत में प्रस्तुत आवेदन को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था कि मामले की फाइल के साथ कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन कर सके।

(Para 11)

(11) यह सच है कि गबन का आरोप गंभीर है।यदि साबित हो जाता है, तो कर्मचारी सामान्य रूप से निगम की सेवा में बने रहने का हकदार नहीं होगा।हालाँकि, यह नहीं माना जा सकता है कि आरोप केवल इसलिए साबित हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया गया है।वास्तव में, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा गबन के आरोप से बरी कर दिया गया है।इतना ही नहीं।प्रतिवादीगण कार्यवाही के दौरान और वर्तमान मामले में अदालत के समक्ष भी उनके *खिलाफ* सबूत का एक टुकड़ा भी पेश नहीं कर पाए हैं।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिए जाने के 13 साल बीत जाने के बावजूद जांच मामले की फाइल में एक भी सबूत नहीं लाया गया है।

(12) याचिकाकर्ता को इन कार्यवाही की पीड़ा लगातार झेलनी पड़ी है।उनकी तबीयत बिगड़ गई है।वह मानसिक यातना से गुजरा है।इस मामले की परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता भविष्य की पीड़ा से बचने का हकदार है।इसके अलावा, हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि वह उन लंबी कार्यवाही के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजे के हकदार हैं जो कई वर्षों की अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए उनके सिर पर लटकी हुई हैं।इस प्रकार, इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हम उन अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर देते हैं जो वर्ष 1986 से याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित हैं।रखते रहें।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि निलंबन की अवधि कर्तव्य पर खर्च की गई मानी जाएगी और वह वेतन के पूर्ण बकाया का हकदार होगा।उन्हें रुपये का भुगतान करके और मुआवजा दिया जाएगा। 25, 000 उस लंबी कार्यवाही के कारण जिसका उन्होंने सामना किया है।

(13) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

आर. एन. आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
गुरुग्राम, हरियाणा

(Para 11)

एन. के. अग्रवाल के समक्ष, जे.

बी. के. *अग्रवाल-याचिकाकर्ता*

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य,-उत्तरदाता

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11966

12अक्टूबर, 1999

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-भारतीय *दंड संहिता, 1860- धारा 409- 1995 में,* बैंक *द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में उसे बचत खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के लिए निलंबित कर दिया गया-1997 में, सीजेएम ने याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोप लगाया- उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की-क्या समान आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही* दोनों *एक साथ चलती हैं- आयोजित, नहीं- अनुशासनात्मक कार्यवाही को आपराधिक मुकदमे के समापन तक रोकने का आदेश दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक मामले के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही समान आरोपों पर आधारित हैं।बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिस को मामले की सूचना दी।दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य की प्रकृति भी समान होगी, हालाँकि प्रमाण का मानक वास्तव में अलग हो सकता है।आपराधिक मुकदमे में सबूत का मानक अधिक सख्त होगा।एफ. आई. आर. 31 अक्टूबर, 1995 को दर्ज की गई थी, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र याचिकाकर्ता को 18 दिसंबर, 1997 को दिया गया है।इन परिस्थितियों में, यह उचित पाया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकती है।याचिकाकर्ता को एक ही सनक और आरोपों से जुड़ी दो अनिश्चित कार्यवाही का सामना करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।दोनों कार्यवाहियों में तय किए जाने वाले प्रश्न लगभग समान प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में, आपराधिक मुकदमे के समापन तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना न्यायसंगत और उचित होगा।

(Para 11)